न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 83/2024

हुकमाराम पुत्र श्री रेमलदास जाति अरोड़ा निवासी मोहर सिंह चौक के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. मुंशी राम पुत्र श्री फतेह चन्द जाति अरोड़ा निवासी मोहर सिंह चौक के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री अरविन्द कुमार जाखड़ — प्रार्थी
2. श्री राजेश गुम्बर — अप्रार्थी संख्या 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 18.07.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 140/107 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 3/2 में 0.126 है0, 4 में 0.253 है0, 5 में 0.253 है0, 7/1 में 0.190 है0, 8 में 0.253 है0, 9 में 0.253 है0, 10 में 0.253 है0 कुल 1.581 है0 कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 8/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.127 है0, 12 में 0.253 है0, 13/1 में 0.126 है0, 19 में 0.253 है0, 22 में 0.253 है0 कुल 1.138 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.719 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी का पेशा खेती है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी सरकारी रास्ता से होता हुआ आगे चक 6 वाई के मु0 नं0 4 के किला नम्बर 2 की 0.026 है0, 9/2 की 0.013 है0 भूमि में से होता हुआ, अपने रकबा चक 6 वाई के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 2 व 9/1 में प्रवेश करता है, मगर उक्त रकबा [illegible] होने के कारण वह प्रार्थी के 9/2 का रकबा अप्रार्थी संख्या 01 के [illegible] से रास्ता को स्वीकृत आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है। प्रार्थी द्वारा अप्र[illegible] करता रहा और करवाने के लिये कई बार कहा गया लेकिन [illegible] तो उसने तारीख 20.5.24 को अप्रार्थी नं0–1 से रास्ता स्वीकृत कर[illegible] सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी को धमकी दी कि वह इस रास्ता को बन्द कर देगा। यही वाद कार[illegible]। यदि अप्रार्थी ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:12:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता बन्द कर दिया तो प्रार्थी के रकबा में आने जाने के लिये और कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी बरबाद हो जावेगा ऐसी सूरत में प्रार्थी हुकमाराम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी उक्त रास्ता को बन्द ना करे और आवागमन में किसी प्रकार अवरोध पैदा ना करे । प्रार्थी के पास अपने रकबा में आने जाने के लिये और कोई रास्ता स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थी अपने रकबा में आने जाने के लिये व कृषि कार्य के लिये अपनी कृषि भूमिं में जाने के लिये रास्ते की अत्यन्त आवश्यक्ता है इसलिये प्रार्थी अपने क्षेत्र में आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशनुसार मुआवजा राशि अप्रार्थी को नगद या कृषि भूमि के बदले कृषि भूमिं देने के लिये तैयार है। उक्त आराजी अदालतवाला के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है और पूरी कोर्ट पर पेश है जो अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर चक 6 वाई के मुरब्बा न 4 के किला नं0–2 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.026 हैक्टर यानि 02 बिस्वा व किला नं0–9 / 2 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.013 हैक्टर यानि 01 बिस्वा कुल 03 बिस्वा लम्बा रास्ता अप्रार्थी नं0–1 मुन्शीराम की कृषि भूमिं में से स्वीकृत करके राजस्व रिकार्ड में रास्ता की प्रवृष्टि किये जाने का आदेश प्रदान करें जिससे प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु सुविधा मिल सके।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस तरह वर्णित की गयी है स्वीकार नही है। क्योंकि प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता है। इस सम्बन्ध में मुझ अप्रार्थी द्वारा मुरबा नम्बर 4 का नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है। अवलोकन फरमाया जावे। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थी द्वारा इस मद में मनगढंत तथ्य बिना किसी रिकार्ड के एव बिना कोई दस्तावेज के आधार के दर्ज किये गये हैं जिनका कोई सरोकार ही नहीं है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि से आवागमन नहीं करता एवम मौका पर रास्ता चालू नहीं है और ना ही कभी रास्ता चालू रहा है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ते का उपयोग नहीं किया जा रहा है एवम मुझ अप्रार्थी द्वारा दि0 20.05.2024 इन्कार करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता है एवम कानून के अनुसार भी प्रार्थी मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि से रास्ता स्वीकृत नहीं करवा सकता। प्रार्थी द्वारा मनगढंत तथ्य दर्ज किये गये है क्योंकि मौका पर कोई रास्ता नहीं चल रहा है ओर ना ही प्रार्थी को रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है और न ही प्रार्थी अपनी सुविधानुसार कोई रास्ता स्वीकृत करवा सकता है। इसलिए प्रार्थी का इसी बिन्दु पर ही प्रार्थना पत्र धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किये जाने योग्य है। अतिरिक्त कथन – प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता है [illegible] मे चक 6 वाई का मुरबा न0 4 का नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है [illegible] फरमाया जावे। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी मुझ अप्रार्थी [illegible] स्वीकृत नहीं करवा सकता। नक्शा की प्रति सलग्न जवाब है। प्रार्थी [illegible] आवश्यकता नहीं है एवं धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे स्पष्ट [illegible]क अगर वैकल्पिक रास्ता हो तो पक्षकार रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। काश्तकार अपनी कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

भूमि में जाने के लिए मुरबा के पत्थर लाईन से ही जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवा सकता है। कृषि भूमि के बीच में रास्ता स्वीकृत नहीं करवा सकता। उक्त प्रकरण में प्रार्थी अपनी ईच्छानुसार रास्ता स्वीकृत करवा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नक्शा व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन फरमाया जावे। प्रार्थी सुविधा के आधार पर रास्ते की मांग नही कर सकता एवं ना ही वैकल्पिक रास्ते के होते हुए नये रास्ते की माग कर सकता है। इसके सम्बन्ध में नियम 69 स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में पेड खडे है इसलिए भी प्रार्थी रास्ते की मांग नही कर सकता एवं रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और प्रार्थी सुविधानुसार रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। नियम 69 में स्पष्ट है कि रास्ता की रिपोर्ट तैयार करते समय तहसीलदार या गिरदावर मौका पर प्रभावित पक्षकारो को नोटिस देकर बुलाकर उनकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार करेगा। परन्तु उक्त प्रकरण में मुझ अप्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और मेरी अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई है। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट का अवलोकन फरमाया जावे। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है। चाहे गये रास्ता में घरेलू खाल आड चल रही है। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से चलने योग्य नही है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवान के प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मौजूद व्यक्तियों ने प्रार्थी एवंम अप्रार्थी आपस में राजीनामा करवा दिया है तथा अब प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से निर्णय पारित करवाना चाहते हैः–

1. यह कि अप्रार्थी मुन्शी राम के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से चक 6 वाई का खाता संख्या 83/72 का मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 3 की पूर्वी दिशा में से 0.013 है० (किला नम्बर 4 के साथ चिपता भाग) तथा किला नम्बर 8/2 की पूर्वी दिशा में से 0.0065 है0 (किला नम्बर 7 के साथ चिपता भाग) कुल 0.0195 है० बतौर रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. यह कि रास्ता के बदले प्रार्थी हुक्मा राम के नाम से दर्ज भूमि में से चक 6 वाई के खाता संख्या 140/107 का मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 9/1 की 0.127 है0 में से 0.0100 है० (उत्तरी भाग / किला नम्बर 9/2 के साथ चिपता हुआ) व किला नम्बर 8/1 की 0.126 है0 में से 0.0095 है० [illegible] किला नम्बर 8/2 के साथ चिपता हुआ) कुल 0.0195 है० भूमि प्रार्थी हुक्मा राम [illegible] कम करके अप्रार्थी मुन्शी राम पुत्र श्री फतेह चन्द जाति [illegible] निवासी [illegible] के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज [illegible] दोनों पक्षों ने अपने पूर्ण होशो हवास स्थिर बुद्धि व साब्ते अक्ल के तहरीर करवा करवाया है ताकि वक्त जरूरत काम आवे। [illegible] लिहाजा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

– :: आदेश ::–

बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो चुका है प्रकरण का निर्णय मुताबित राजीनामा किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो चुका है। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मुन्शी राम के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से चक 6 वाई का खाता संख्या 83/72 का मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 3 की पूर्वी दिशा में से 0.013 है० (किला नम्बर 4 के साथ चिपता भाग) तथा किला नम्बर 8/2 की पूर्वी दिशा में से 0.0065 है0 (किला नम्बर 7 के साथ चिपता भाग) कुल 0.0195 है० बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

रास्ता के बदले प्रार्थी हुक्मा राम के नाम से दर्ज भूमि में से चक 6 वाई के खाता संख्या 140/107 का मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 9/1 की 0.127 है0 में से 0.0100 है० (उत्तरी भाग/ किला नम्बर 9/2 के साथ चिपता हुआ) व किला नम्बर 8/1 की 0.126 है0 में से 0.0095 है० (उत्तरी भाग/किला नम्बर 8/2 के साथ चिपता हुआ) कुल 0.0195 है० भूमि प्रार्थी हुक्मा राम के खाता से कम करके अप्रार्थी मुन्शी राम पुत्र श्री फतेह चन्द के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिंनाक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner